न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–1, कौशाम्बी

एस.टी. संख्या : 65/2017

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम सिंह यादव

11.03.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर अभियुक्त राम सिंह की ओर से हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो केवल आज के लिए स्वीकृत।

प्रार्थना पत्र 18ख समर्थित शपथ पत्र 19ख पर वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 18ख

प्रार्थना पत्र 18ख मय शपथ पत्र 19ख वादी जय सिंह की ओर से धारा 319 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी ने दिनांक 13.09.2014 को थाना चरवा में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि दिनांक 13.09.2014 को समय लगभग 7:30 बजे शाम को अपने ट्यूबवेल के बगल खेत में शौच (लैट्रिन) बैठा था। उसी समय मेरे गॉव के राम सिंह पुत्र रामलाल व त्रिवेणी प्रसाद पुत्र शारदा प्रसाद अपने हाथ में बोतल से कुछ गिराये और माचिस जलाकर मेरे ट्यूबवेल की खिड़की से अन्दर फेंके जिससे मेरे ट्यूबवेल में आग लग गयी। मैं बगल में शौच करने हेतु बैठा था, दौड़ा एवं चिल्लाया तो राम सिंह व त्रिवेणी प्रसाद भागने लगे। मैं शोर मचाया तो दोनों लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। शोर सुनकर गॉव के तमाम लोग आये एवं दोनों लोगों को भागते हुए देखे। हम लोग आग बुझाने लगे। ट्यूबवेल में रखा गेहूँ, भूसा, थ्रेसर, इंजल तथा ट्यूबवेल की खिड़की दरवाजे व अन्य सामान भी जल गये। प्रार्थी की काफी क्षति हुई है। दौरान विवचेना विवेचक मुल्जिमान त्रिवेणी प्रसाद पुत्र शारदा प्रसाद को लाभ पहुँचाते हुए विवेचना में गलत तरीके से नाम हटा दिया और राम सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। प्रार्थी स्वयं अभियोजन साक्षी सं0–1 के रूप में अपना सशपथ बयान व पी.डब्लू.–2 के रूप में प्रतिभा यादव ने अपना सशपथ बयान दर्ज कराया है जिसमें घटना का समर्थन किया है। मुकदमा उपरोक्त में त्रिवेणी प्रसाद पुत्र शारदा प्रसाद जो मेरे गॉव का ही है, घटना में शामिल था और घटना कारित करते हुए प्रार्थी व भागते हुए गॉव के अन्य लोगों ने देखा है।

अतः मुकदमा उपरोक्त में त्रिवेणी प्रसाद पुत्र शारदा प्रसाद निवासी तेलियन का पुरवा, मजरा बलकरनपुर, थाना चरवा, जनपद कौशाम्बी को तलब कर दण्डित किया जाये।

पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि वादी मुकदमा जय सिंह के द्वारा दिनांक 13.09.2014 को थाना चरवा, जनपद कौशाम्बी में तहरीर प्रदर्श क–1 प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया था कि – "आज दिनांक 13.09.2014 को समय लगभग 7:30 बजे शाम मैं अपने ट्यूबवेल के बगल खेत में दिशा बैठा था। उसी समय मेरे गॉव के राम सिंह पुत्र रामलाल व त्रिवेणी प्रसाद पुत्र शारदा प्रसाद अपने हाथ में बोतल लेकर मेरे ट्यूबवेल की तरफ जा रहे थे कि दोनों लोग मेरे ट्यूबवेल के पास पहुॅचकर हाथ में लिये बोतल से कुछ गिराये और माचिस जलाकर मेरे ट्यूबवेल की खिड़की से अन्दर फेंके जिससे मेरे ट्यूबवेल में आग लग गयी। मैं बगल में दिशा बैठा था, दौड़ा एवं चिल्लाया तो राम सिंह व त्रिवेणी प्रसाद भागने लगे। मैं शोर मचाया तो दोनों लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। शोर सुनकर गॉव के तमाम लोग आये एवं दोनों लोगों को भागते हुए देखे।" इसके अलावा वादी मुकदमा जय सिंह के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अन्तर्गत विवेचक को अभिलिखित कराया गया कथन इस प्रकार है – "मैं दिनांक 13.09.2014 को समय लगभग 7:30 बजे शाम को अपने ट्यूबवेल के बगल खेत में दिशा बैठा था। उसी समय मेरे गॉव के राम सिंह पुत्र रामलाल व त्रिवेणी प्रसाद पुत्र शारदा प्रसाद अपने हाथ में बोतल लेकर मेरे ट्यूबवेल के पास पहुॅचकर हाथ में लिए बोतल से कुछ गिराये और माचिस जलाकर मेरे ट्यूबवेल की खिड़की से अन्दर फेंके जिससे मेरे ट्यूबवेल में आग लग गयी। मैं बगल में दिशा बैठा था, दौड़ा एवं चिल्लाया तो राम सिंह व त्रिवेणी प्रसाद भागने लगे। मैं शोर मचाया तो दोनों लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये।" इस प्रकार वादी जय सिंह के द्वारा तहरीर में व बयान अन्तर्गत धारा 161 द. प्र.सं. में स्पष्ट बताया गया है कि अभियुक्त राम सिंह के अतिरिक्त उसके साथ त्रिवेणी प्रसाद भी था। अभियुक्त राम सिंह के विरूद्ध आरोप विरचित होने के पश्चात् वादी मुकदमा के द्वारा बतौर पी.डब्लू.–1 साक्ष्य अभिलिखित कराया जा चुका है।

पी.डब्लू.–1 जय सिंह के द्वारा मुख्य परीक्षा में दिया गया साक्ष्य इस प्रकार है – "दिनांक 13.09.2014 की शाम लगभग 7:30 बजे मैं अपने ट्यूबवेल वाले खेत के बगल में दिशा के लिए बैठा था। उसी समय मेरे गॉव के राम सिंह पुत्र राम लाल व त्रिवेणी प्रसाद पुत्र शारदा अपने हाथ में बोतल लेकर मेरे ट्यूबवेल में पहुॅचे। मेरे ट्यूबवेल के खिड़की से बोतल से छिड़ककर अन्दर माचिस जलाकर खिड़की के अन्दर फेंक दिये जिससे मेरे ट्यूबवेल में आग लग गयी। वैसे ही मैं दौड़ा और टार्च की रोशनी से दोनों को पहचान लिया।" इस प्रकार वादी मुकदमा जय सिंह के द्वारा न्यायालय में दिये गये साक्ष्य में भी बताया गया है कि अभियुक्त राम सिंह के साथ अभियुक्त त्रिवेणी प्रसाद भी आपराधिक घटना में शामिल था। इस सम्बन्ध में वादी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह कथन किया गया है कि विवेचक के द्वारा साज करके मात्र अभियुक्त राम सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित की गयी है। इस स्तर पर यह स्पष्ट है कि वादी मुकदमा जय सिंह स्वयं इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है और विवेचक को भी बयान अन्तर्गत धारा 161 द.प्र.सं. में स्पष्ट बताया गया है कि त्रिवेणी प्रसाद भी इस घटना में शामिल था। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अन्तर्गत अपराध के अभियुक्त को तलब करने के लिए केवल इतना ही पर्याप्त होता है कि उसके विरूद्ध पत्रावली पर इतना साक्ष्य हो कि उसके विरूद्ध आरोप विरचित किया जा सके। इस स्तर के साक्ष्य की आवश्यकता तलब किये जाने के लिए अभियुक्त के विरूद्ध नहीं होती है कि उसे दोषसिद्ध किया जा सके।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्यों से प्रथम दृष्टया धारा 436 व 506 भा0दं0सं0 के अपराध के लिए अभियुक्त त्रिवेणी प्रसाद पुत्र शारदा को अन्तर्गत धारा–319 दं0प्र0सं0 प्रस्तुत मामले में अन्य अभियुक्त राम सिंह यादव के साथ संयुक्त विचारण हेतु तलब किया जाना न्यायोचित होगा। तद्नुसार प्रार्थी/वादी जय सिंह का प्रार्थना पत्र 18ख न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/वादी जय सिंह का प्रार्थना पत्र 18ख स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त त्रिवेणी प्रसाद पुत्र शारदा प्रसाद निवासी तेलियन का पुरवा, मजरा बलकरनपुर, थाना चरवा, जनपद कौशाम्बी को धारा 436 व 506 भा0दं0सं0 के अपराध के लिए अभियुक्त राम सिंह यादव के साथ

संयुक्त विचारण हेतु जरिए सम्मन दिनांक 09.04.2024 के लिए तलब किया जावे।

अपर सेशन न्यायाधीश
कोर्ट संख्या–1, कौशाम्बी।
I.D. No. : 6155

Digitally signed by Rakesh Kumar V
Date: 2024.03.11 15:36:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court